

3/8/24

पत्रपेशद्वरी प्रकरण में विवाहित पक्षकारान एवं
 वहील नदी के ठर- ठर आकाज लावामी गयी, क
 -मामालम मे सुनवारी का समय समाप्त होके
 तथा विवाहित पक्षकारान में से ठरि क्षम मा
 उनकी ओर प्राधिकृत कोर्ब अन्य चमक्ति एफिर
 अक्षरत नही आमा। अतः प्रकरण अफम हापिरी
 एवं अफम परेकी में खारिज ठिया जातेहो पमावली
 फीचल शुमार होठर नखर से उन हो। तथा
 बाद त ७मील दाखिल फतर हो। निष्पति एके
 -मामालम में सुनाया गमा।

(Signature)
 31/8/2024
 मुनेश कुमार (R.A.S.)
 सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

आपका पत्र मिला है। मैंने इसे ध्यान से पढ़ा है।
 मैंने आपके पत्र में उल्लेखित बातों पर विचार किया है।
 मैंने आपके पत्र में उल्लेखित बातों पर विचार किया है।
 मैंने आपके पत्र में उल्लेखित बातों पर विचार किया है।